कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक- 09.09.2026

थाना चन्दौली व स्वाट/SOG टीम की संयुक्त कार्यवाही में लगभग 3.92 करोड़ रुपये कीमत का सोना बरामद, 02 अभियुक्त गिरफ्तार

◆ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

◆ 2 किलो 565.720 ग्राम पीली धातु (सोना) बरामद

◆ बरामद सोने की अनुमानित कीमत लगभग ₹3 करोड़ 92 लाख

◆ वाहन के गियर बॉक्स के नीचे बनाए गए विशेष बॉक्स में छिपाकर रखा गया था सोना

◆ 05 मोबाइल फोन व KIA Carens कार बरामद

◆ आयकर विभाग एवं राजस्व आसूचना विभाग को दी गई सूचना, बरामद सोना नियमानुसार सुपुर्द

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना चन्दौली बिन्देश्वर पाण्डेय एवं प्रभारी स्वाट/SOG टीम निरीक्षक राम जन्म यादव के कुशल नेतृत्व में थाना चन्दौली पुलिस एवं स्वाट/SOG टीम द्वारा संयुक्त रूप से बड़ी कार्यवाही करते हुए लगभग ₹3 करोड़ 92 लाख रुपये कीमत की पीली धातु (सोना) बरामद करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

स्वाट/SOG टीम प्रभारी मय हमराह एवं प्रभारी निरीक्षक थाना चन्दौली मय हमराह को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि KIA Carens कार संख्या HR22W2830, सफेद रंग से दो व्यक्ति बिहार की तरफ से अवैध पीली धातु (सोना) लेकर दिल्ली की तरफ जाने वाले हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए उच्चाधिकारीगण को अवगत कराया गया।

मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा नवही पुलिया हाईवे पर बिहार की तरफ से आने वाले वाहनों को रोककर चेक किया जा रहा था तथा धीमी गति से वाहनों को पास कराया जा रहा था। इसी दौरान मुखबिर द्वारा बताए गए वाहन KIA Carens संख्या HR22W2830 को बिहार की तरफ से आते हुए देखा गया।

पुलिस टीम द्वारा वाहन को रुकने का इशारा किया गया, जिस पर चालक द्वारा वाहन को साइड से भगाकर निकलने का प्रयास किया गया। पुलिस बल द्वारा तत्परता दिखाते हुए वाहनों की सहायता से उक्त कार को रोक लिया गया।

वाहन चालक से नाम-पता पूछने पर उसने अपना नाम जुबेर मुबारक शेख पुत्र मुबारक शेख निवासी मसाला गली के पीछे, अहिल्या नगर, थाना शांगली, जिला शांगली, महाराष्ट्र बताया। वहीं चालक के बगल वाली सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम मनीष कुमार पुत्र पवन कुमार निवासी मकान संख्या-248, लाट नं. 6, लाजपत नगर, जिला फतेहाबाद, हरियाणा बताया।

वाहन भगाने का कारण पूछने पर दोनों व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि उनकी गाड़ी में गियर बॉक्स के नीचे बॉक्स बनाकर अवैध सोना छिपाकर रखा गया है, जिसे वे लोग दिल्ली लेकर जा रहे थे तथा पकड़े जाने के डर से वाहन भगाने का प्रयास कर रहे थे।

अभियुक्तों की निशानदेही एवं सहयोग से वाहन के गियर बॉक्स के नीचे बनाए गए बॉक्स को खोलकर चेक किया गया, जिसमें कपड़े के लंबे बेल्ट में भूरे रंग के सेलो टेप से लपेटकर रखी गई दो सिल्लियों में पीली धातु बरामद हुई। अभियुक्तों द्वारा उक्त पीली धातु को सोना बताया गया। बरामद पीली धातु के संबंध में अभियुक्त कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।

▪ □आयकर विभाग एवं राजस्व आसूचना विभाग की उपस्थिति में जांच-

बरामदगी के संबंध में उच्चाधिकारीगण को अवगत कराते हुए Income Tax Department एवं Revenue Intelligence Department को सूचना दी गई। सूचना पर संबंधित विभाग के अधिकारी Government Valuer/सुनार के साथ मौके पर उपस्थित हुए।

उनकी उपस्थिति में बरामद पीली धातु के बंडल को खुलवाकर चेक एवं वजन कराया गया, जिसका कुल वजन 2 किलो 565.720 ग्राम पाया गया। संबंधित वैल्यूअर द्वारा इसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹3 करोड़ 92 लाख बतायी गयी।

आयकर विभाग द्वारा प्रारम्भिक रूप से बताया गया कि बरामद पीली धातु विदेश में निर्मित सोना है।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी की पुलिस कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त बरामद पीली धातु को नियमानुसार Revenue Intelligence Department को सुपुर्द कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.जुबेर मुबारक शेख पुत्र मुबारक शेख निवासी मसाला गली के पीछे, अहिल्या नगर, थाना शांगली, जिला शांगली, महाराष्ट्र।

2.मनीष कुमार पुत्र पवन कुमार निवासी मकान संख्या-248, लाट नं. 6, लाजपत नगर, जिला फतेहाबाद, हरियाणा।

बरामदगी का विवरण-

1- 2 किलो 565.720 ग्राम पीली धातु (सोना) — अनुमानित कीमत लगभग ₹3 करोड़ 92 लाख।

2- 05 मोबाइल फोन।

3- 01 KIA Carens कार संख्या HR22W2830, सफेद रंग।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना चन्दौली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक बिन्देश्वर पाण्डेय, थाना चन्दौली।

2. उ0नि0 कन्हैया लाल मौर्या थाना चन्दौली।

3. का0 अभिषेक तिवारी थाना चन्दौली।

4. का0 अरुण मिश्रा थाना चन्दौली।

स्वाट/SOG टीम-

1. निरीक्षक राम जन्म यादव, प्रभारी स्वाट/SOG टीम।

2. मु0आ0 राणा प्रताप सिंह।

3. मु0आ0 अरविंद भारद्वाज।

4. मु0आ0 रामानंद यादव।

5. मु0आ0 आशुतोष सिंह।

6. मु0आ0 सतीश सिंह।

7. आरक्षी अमित सिंह।

8. आरक्षी महेश कुमार।

थाना चन्दौली पुलिस एवं स्वाट/SOG टीम द्वारा संयुक्त रूप से की गई उक्त कार्यवाही के क्रम में गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा बरामद पीली धातु को संबंधित विभाग को नियमानुसार सुपुर्द किया गया है।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद चन्दौली

प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक: 09.09.2026

□थाना अलीनगर पुलिस द्वारा सर्विलांस टीम की मदद से भैंस चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश

□गिरोह के कुल 08 सदस्य भैंस चोरी करते समय किये गये गिरफ्तार।

□गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा स्वीकार की गयी आधा दर्जन से अधिक भैंस चोरी की घटनाएँ।

□01 पिकअप वाहन से चोरी की 01 भैंस व 06 मोबाइल फोन किये गये बरामद।

पुलिस कार्यवाही-

विगत कुछ माह से जनपद चन्दौली क्षेत्र में भैंस चोरी की लगातार सूचना डायल 112 के माध्यम से व थाना स्थानीय पर प्राप्त तहरीर से ज्ञात हो रही थी जिसके सम्बन्ध में उच्चाधिकारीगण के निर्देशानुसार जनपद के समस्त थानों की पुलिस टीम, स्वाट टीम व सर्विलांस टीम द्वारा निरन्तर निगरानी व अन्य आवश्यक विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित थी। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्राप्त सीसीटीवी फूटेज व अन्य भौतिक साक्ष्यों के आधार थाना स्थानीय पुलिस व सर्विलांस टीम को ज्ञात हुआ कि जनपद में भैंस चोरी करने वालो का एक सक्रिय गिरोह लगातार चोरी की घटनाकारित कर रहा है गिरोह द्वारा रात्रि व दिन में गाँव-गाँव भ्रमण करके भैंसो की चोरी के लिए रेकी की जाती है और रात्रि में घटना को अंजाम दिया जाता है। गिरोह जनपद के सभी थाना क्षेत्र में समय व स्थान बदल-बदल कर चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है।

चन्दौली- दिनाँक 08.09.2026 को उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर गगनराज सिंह व प्रभारी सर्विलांस सेल उ0नि0 आशीष मिश्रा के कुशल नेतृत्व में थाना अलीनगर पुलिस टीम को मखबिर से सूचना मिली कि कुछ भैंस चोर रेवसा स्थित रेलवे ब्रिज के नीचे एक पिकअप वाहन पर चोरी की भैंस लादने का प्रयास कर रहे है यदि जल्दी किया जाये तो पकडे जा सकते है।

▪मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना स्थानीय पुलिस टीम व सर्विलांस टीम मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुँचकर एकबारगी दबिश देते हुये घेराबन्दी की गयी तो पुलिसकर्मियो को अपनी तरफ आता देख भैंस लाद रहे सभी व्यक्तियों ने पिकअप चालक को ललकारते हुये कहा कि चढ़ा दो सभी पुलिसकर्मियों के ऊपर नहीं तो हम लोग पकडे जायेगें। इतना सुनकर वाहन चालक ने पिकअप वाहन को तेजी से जान से मारने की नियत से पुलिस कर्मियो की तरफ तेजी से बढा दिया गया पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर ब्रिज के पिलर से टकरा गयी कि पुलिस कर्मियो द्वारा आगे पीछे होकर अपनी जान बचाते हुये पिकअप वाहन मय चालक व भैंस लाद रहे व्यक्तियों को पकड लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-मो0 याकूब पुत्र स्व0 अली हुसैन, निवासी एस 23/112 K58 बेलवरिया चौकाघाट, थाना जैतपुरा, जनपद वाराणसी (उम्र करीब 40 वर्ष)। वाहन चालक

2-विजय चौहान उर्फ रिंकू पुत्र रामलाल चौहान, निवासी दौलतपुर, थाना सकलडीहा, जनपद चन्दौली (उम्र करीब 27 वर्ष)।

3-आनन्द मौर्य पुत्र स्व0 किशोरी लाल मौर्य, निवासी सलालपुर, थाना सारनाथ, जनपद वाराणसी (उम्र करीब 30 वर्ष)।

4-ओम प्रकाश नट पुत्र अंगद नट, निवासी बेलहरी, थाना मोहनिया, जनपद कैमूर (भभुआ), बिहार (उम्र करीब 20 वर्ष)।

5-सटरु हुसैन पुत्र नबी हुसैन, निवासी ग्राम फगुइया, थाना चन्दौली, जनपद चन्दौली (उम्र करीब 46 वर्ष)।

6-नितेश कुमार पुत्र रमेश नाथ, निवासी ग्राम बेलहरी, थाना मोहनिया, जनपद कैमूर (भभुआ), बिहार (उम्र करीब 22 वर्ष)।

7-अखिलेश नट पुत्र टुनटुन नट, निवासी ग्राम सोनपा, थाना राजपुर, जिला बक्सर, बिहार (उम्र करीब 28 वर्ष)।

8-विनोद नट पुत्र अंगद नट, निवासी बेलहरी, थाना मोहनिया, जिला कैमूर (भभुआ), बिहार (उम्र करीब 30 वर्ष)।

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि बरामद भैंस को उन्होंने अपने अन्य साथियों (बन्नी, गुड्डु व साहेब) के साथ मिलकर पास के ही एक गाँव से चोरी किया था। अभियुक्तों ने यह भी खुलासा किया कि वे सुनसान और अंधेरी जगहों से मवेशियों की चोरी करते हैं तथा पिकअप वाहन के जरिए बिहार ले जाकर औने-पौने दामों में बेच देते हैं। जामा

तलाशी से बरामद नगद रुपए चोरी की भैंसों को बेचने से प्राप्त हुए थे। इसके अतिरिक्त अभियुक्तों ने जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों (अलीनगर, सकलडीहा, चन्दौली, सैयदराजा, चकिया व इलिया) से पूर्व में की गई मवेशी चोरियों की घटनाओं को भी स्वीकार किया।

अभियुक्त विजय चौहान उर्फ रिंकू द्वारा बताया गया कि जून माह में चकिया के भटपुरवा गाँव से दो भैंस व जूलाई माह में लठिया गाँव से दो भैंस व एक पडिया तथा थाना इलिया से मई माह में एक भैंस तथा जूलाई माह अलग अलग जगह से दो भैंस तथा एक पडिया अपने मामा के लडके अमरजीत चौहान व बन्नी तथा अन्य साथियो के साथ चोरी किये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

1-विजय चौहान उर्फ रिंकू पुत्र रामलाल चौहान, निवासी दौलतपुर, थाना सकलडीहा, जनपद चन्दौली (उम्र करीब 27 वर्ष)।

1. मु0अ0सं0-172/2026 धारा 305 बीएनएस थाना चकिया जनपद चन्दौली।
2. मु0अ0सं0-181/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना चकिया जनपद चन्दौली।
3. मु0अ0सं0-188/2026 धारा 109(1), 305(ए),317(2) बीएनएस व धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना चकिया जनपद चन्दौली।
4. मु0अ0सं0-41/2026 धारा 303(2),317(4) बीएनएस थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली।
5. मु0अ0सं0-42/2026 धारा 305,317(4),331(4) बीएनएस थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली।
6. मु0अ0सं0-83/2015 धारा 109 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली।
7. मु0अ0सं0-99/2019 धारा 323,341,504,506 भादवि व धारा 3(1)(घ), 3(1)(द) एससी एसटी एक्ट थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली।
8. मु0अ0सं0-64/2026 धारा 305(ए),317(4),331(2) बीएनएस थाना इलिया जनपद चन्दौली।
9. मु0अ0सं0-68/2026 धारा 305(ए),317(4) बीएनएस थाना इलिया जनपद चन्दौली।

2-सटरु हुसैन पुत्र नबी हुसैन, निवासी ग्राम फगुइया, थाना चन्दौली, जनपद चन्दौली (उम्र करीब 46 वर्ष)।

1. मु0अ0सं0-167/2018 धारा 3/5ए/8 गोवध निवा0 व धारा 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना चन्दौली जनपद चन्दौली।

बरामदगी विवरण-

01 भैंस।

01 पिकअप वाहन (पंजीकरण सं0 UP61T3510)।

कुल ₹ 23,700/- नकद (जामा तलाशी से बरामद)।

कुल 06 मोबाइल फोन (विभिन्न कंपनियों के स्मार्टफोन व कीपैड फोन)।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

धारा 109(1)/317(2) बीएनएस थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।

पूर्व के आपराधिक इतिहास का विवरण-

अभियुक्तों द्वारा स्वीकार की गई चोरियों के संबंध में संबंधित थानों पर पूर्व से पंजीकृत अभियोगों का विवरण निम्नवत है:-

थाना अलीनगर: मु0अ0सं0 485/26 धारा 303(2) बीएनएस (ग्राम कुचमन से भैंस चोरी)।

थाना सकलडीहा: मु0अ0सं0 180/26 धारा 303(2) बीएनएस।

थाना चन्दौली: मु0अ0सं0 458/26 धारा 303(2) बीएनएस।

थाना सैयदराजा: मु0अ0सं0 262/26 धारा 303(2) बीएनएस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक गगनराज सिंह - थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली।

उ0नि0 आशुतोष गुप्ता - थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली।

उ0नि0 अमित कुमार सिंह - थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली।

उ0नि0 मुमताज अहमद - थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली।

रि0का0 ललित प्रजापति - थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली।

रि0का0 सर्वजीत सिंह गौतम - थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली।

का0 अभिषेक सिंह - थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली।

का0 शिवांशु सिंह (चालक) - थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली।

रि0का0 विक्रान्त पाल - थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली।

का0 प्रभाकर - थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली।

रि0का0 प्रशान्त मिश्रा - थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली।

का0 आलोक सिंह (चालक) - थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली।

सर्विलांस टीम-

उ0नि0 आशीष मिश्रा प्रभारी सर्विलांस सेल मय टीम जनपद चन्दौली।

हे0का0 प्रेम प्रकाश यादव सर्विलांस सेल जनपद चन्दौली।

हे0का0 आदित्य शंकर पाण्डेय सर्विलांस सेल जनपद चन्दौली।

का0 अजीत कुमार सिंह सर्विलांस सेल जनपद चन्दौली।

का0 नीरज कुमार मिश्रा सर्विलांस सेल जनपद चन्दौली।

का0 मनोज यादव सर्विलांस सेल जनपद चन्दौली।

का0 गणेश तिवारी सर्विलांस सेल जनपद चन्दौली।

का0 संदीप कुमार सर्विलांस सेल जनपद चन्दौली।